जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7/15

मुन्तकिली प्रकरण सं0 07/2015 गुरजन्ट सिंह पुत्र जागरसिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरा केरी तहसील श्रीगंगानगर बनाम 1–सोनुराम पुत्र खेमाराम नायक निवासी वार्ड न0 30 सूरतगढ 2–सुगनीबाई 3–चुनी 4–छोटुराम 5–मोहनलाल 6–सोहनलाल 7–सुगनाराम 8–तहसीलदार, श्रीगंगानगर

31–3–2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ.पी.बतरा उपस्थित है। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र तहसीलदार, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लंबित अनवानी प्रकरण सोनुराम आदि बनाम गुरजन्ट सिंह आदि अन्तर्गत धारा 183(बी) राज0 काश्यतकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है। चूंकि तत्कालीन तहसीलदार, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी गुरजन्ट सिंह द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

696
6-4-16

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official